जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फैक्स नं० 2651313

क्रमांकः– प्रनि / जोविविनिलि / अनु–पीपीएम / पत्रा०सामान्य / प्रे०सं० 391 जोधपुर,दिनांक 30/6/04

परिपत्र

विषयः– सामान्य श्रेणी के दिनांक 31.3.2003 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को अगले तीन वर्ष मे कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में कृषि नीति।

****

सचिव, ऊर्जा विभाग , राजस्थान सरकार, के अ.शा.पत्र संख्या पी.एस. / इ.एम. / 2004 / 110 दिनांक 23.1.2004 के द्वारा जारी कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध मे नीति के अनुसार 31.3.2003 तक प्राप्त आवेदनों को अगले तीन वर्ष में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने है, जिनमे से निम्न तालिका अनुसार वर्षवार मांग पत्र जारी किये जावेंगे।

क्र.स.	नाम डिस्कॉम	कृषि कनेक्शन के मांग पत्र दिये जाने की संख्या		
		वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
1.	जोधपुर डिस्कॉम	14385	16080	14529

इस वर्ष 2004–2005 मे दिये जाने वाले कृषि कनेक्शनों हेतु दिशा निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्न है :–

{1} ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि कनेक्शन देने के लिये केवल दो ही श्रेणियाँ रखी गई है एंव इन श्रेणियो के कृषि कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है।

(अ) सामान्य श्रेणी :–इस श्रेणी मे वर्ष 2003–04 मे पंचायत समितिवार दी गई "कट ऑफ डेट" को 2 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2004–05 मे कृषि कनेक्शन की कार्यवाही की जायेगी। परन्तु जिन पंचायत समितियों की 2 वर्ष "कट–ऑफ–डेट" बढ़ाने पर आवेदनो की संख्या 20 से कम रहती है तो ऐसी पंचायत समितियो की "कट–ऑफ–डेट" आगे बढ़ा कर कम से कम 20 आवेदन पत्रों तक कर ली जावेगी।

(ब) फार्म हाऊस :– यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है, जो कृषक इस योजना मे वरीयता लांधकर कनेक्शन लेना चाहते है, वे आवेदन कर फार्म हाऊस स्कीम के तहत कनेक्शन ले सकते है। इस योजना के तहत दरे सामान्य श्रेणी से अधिक रखी गई है।

{2} कृषि कनेक्शन चाहने वाले कृषक निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को करेंगे। प्रार्थना पत्र शुल्क निम्न है :–

(1) सामान्य श्रेणी के लिए रुपये 75 / –

(2) फार्म हॉऊस श्रेणी के लिए रुपये 250 / –

{3} एस्टीमेट चार्जेज (नये आवेदको के लिए) :–

(अ) सामान्य श्रेणी :– सामान्य श्रेणी के कनेक्शनो से रुपये 2,500 / – व अनुसूचित जाति एंव जनजाति श्रेणी के आवेदको से रुपये 2,50 / – प्रार्थना पत्र के साथ एस्टीमेट चार्जेज लिये जायेंगे और इस राशि को मांग पत्र की राशि मे समायोजित नही की जावेगी।

(ब) फार्म हॉऊस श्रेणी :— इस श्रेणी में कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित पत्र के साथ एस्टीमेट चार्जेज रुपये 5,000/— जमा करानी होगी ,यह राशि डिमाण्ड नोट मे समायोजित नही की जावेगी। वर्तमान मे सामान्य श्रेणी से कोई भी आवेदक वरियता लांघ कर फार्म हॉऊस स्कीम मे कनेक्शन लेना चाहे तो उसे भी एस्टीमेट चार्जेज रुपये 5,000/— जमा करानी होगी। पूर्व मे जमा अग्रिम राशि समायोजित कर ली जावेगी तथा उसका नाम सामान्य श्रेणी की वरीयता से हटा दिया जावेगा।

(स) स्पेशल श्रेणी :— जिन आवेदको ने पूर्व मे अग्रिम राशि रुपये 5,000/— से अधिक जमा करवाई है। उनके मांग पत्र मे रुपये 5,000/— छोड कर बाकी राशि समायोजित कर दी जावेगी तथा फार्म हाऊस श्रेणी में कार्यवाही की जायेगी।

{व} वरीयता

(अ) सामान्य श्रेणी :— आवेदक द्वारा कृषि कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र शुल्क तथा मांग पत्र राशि जमा कराने की तिथि के अनुसार ग्रामवार वरीयता होगी। प्रति वर्ष सहायक अभियन्ता उनके क्षेत्र मे उन कृषको की सूची नोटिस बोर्ड पर लगायेगे, जिनको उस पंचायत, पंचायत समिति एंव जिला परिषद को भी भेजेगे।

कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शनों मे निम्न प्रकार से वरीयता/प्राथमिकता दी जावेगी।

(i)	राज्य के सभी अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र	तुरन्त प्राथमिकता
(ii)	(क) 1962,1965 व 1971 के युद्धो मे, कारगिल दास व अन्य क्षेत्रो मे इसके पश्चात अन्य सैन्य कार्यवाही, अन्य किसी समय देश के किसी भी क्षेत्र मे आंतकवादी गतिविधि के दौरान शहीद की विधवा या पुत्र-पुत्री के नाम , भूमि नही हो तो उसके माता-पिता को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो।	तुरन्त प्राथमिकता
(iii)	उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशों मे (जैसे— पवन, श्रीलका इत्यादि) शहीद के वैधानिक उत्तराधिकारी (NEXT-KIN) को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो—	तुरन्त प्राथमिकता
(ख)	परमवीर चक्र / महावीर चक्र से अंलकृत सैनिको के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य (NEXT-KIN) के बारे मे प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक / अर्द्व सैनिक संख्या से प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन	तुरन्त प्राथमिकता
(IV)	कार्यरत सैनिको, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं (विधवा की मृत्यु होने पर या विधवा के नाम जमीन नही होने पर अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी) को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनो के लिये।	3 वर्ष की प्राथमिकता
(VII)	राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनो मे।	3 वर्ष की प्राथमिकता
(VIII)	शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग आवेदको को सामान्य श्रेणी की "कट—ऑफ—डेट"	3 वर्ष की प्राथमिकता
(IX)	निगम कर्मचारियो को वरीयता क्रम मे।	3 वर्ष की प्राथमिकता
(X)	सभी श्रेणी के कृषि कनेक्शन जो केवल एल.टी.लाईन के विस्तार द्वारा जारी किये जा सकते है, ऐसे कनेक्शनों को ट्रॉसफार्मर के स्थापित होने पर जारी होने वाले कनेक्शनो पर वरीयता दी [illegible] कनेक्शन जारी कर दिया जावें।	

(ब) स्पेशल एव फार्म हाऊस श्रेणी :- आवेदक द्वारा कृषि कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना पत्र शुल्क तथा एस्टीमेट चार्जेज जमा कराने की तिथि के अनुसार उपखण्डवार वरीयता होगी।

{5} **तकनिकी साध्यता** :- यदि 11 केवी लाईनो मे पर्याप्त क्षमता नही हो और वी.आर. 8 प्रतिशत से ज्यादा हो तो क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता , को स्वीकृति हेतु भेजा जावे। परन्तु सभी श्रेणीयों मे जिन आवेदको के 11 केवी फीडर के वी.आर.निर्धारित सीमा 8 प्रतिशत से अधिक है उनके प्रार्थना पत्र लम्बित न रखे जावे तथा उन्हे मांग पत्र जारी कर दिये जावे। कृषि आवेदको को भार क्षेत्र के औसत भार के अनुसार ही स्वीकृत किये जावे।

वृत के अधीक्षण अभियन्ता, क्षैत्र मे चालू पम्प सैटों की क्षमता को ध्यान में रखते हुये औसत भार का निर्धारण करेंगे।

{6} **पोल और ट्रॉसफार्मर चार्जेज** :- अब कृषि आवेदको से एक मुस्त राशि प्रति हॉर्स पॉवर की दर से ली जावेगी और अलग से पोल व ट्रॉसफार्मर चार्जेज नही लिये जायेगे।

(अ) **सामान्य श्रेणी** :- सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदको को रुपये 3500/- प्रति हॉर्स पॉवर , 20 हॉर्स पॉवर तक तथा इसके बाद रुपये 1000/- प्रति हॉर्स पॉवर के हिसाब से व यदि यह राशि रुपये 25,000/- से कम हो तो कम से कम रुपये 25,000/- देय होगी।

(ब) स्पेशल व फार्म हाऊस :- इन श्रेणीयों मे कृषि आवेदक को रुपये 8,000/- प्रति हॉर्स पॉवर से 10 हॉर्स पॉवर तक तथा इसके बाद रुपये 2000/- प्रति हॉर्स पॉवर के हिसाब से व यदि यह राशि रुपये 50,000/- से कम हो तो कम से कम रुपये 50,000/-देय होगी।

{7} **मांग पत्र** :- सभी श्रेणीयों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 30 दिन मे राशि जमा करवाने हेतु भेजा जावेगा। यदि आवेदक के द्वारा 30 दिन तक राशि जमा नही करायी जाती है तो पुनः रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा 30 दिन का मांग पत्र जारी किया जावे। समयावधि मे मांग पत्र जमा नही होने पर आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। इस प्रकार की सूचना द्वितीय मांग पत्र पर अंकित कर दिया जावे तथा उक्त अवधि मे मांग पत्र की राशि जमा नही कराने पर आवेदन शुल्क एवं एस्टीमेट शुल्क वापिस लौटाया नही जावेगा।

{8} **सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजना** :- कृषको की सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजना के कनेक्शनो को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा। मांग पत्र फार्म हाऊस की तरह जारी किये जावेगें। इस योजना मे विद्युत दर स्पेशल श्रेणी की ली जावेगी।

{9} **फार्म हॉऊस श्रेणी के कृषि कनेक्शनो को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नही करना** :- फार्म हॉऊस श्रेणी मे जारी किये जाने वाले कनेक्शन कभी भी सामान्य श्रेणी मे परिवर्तित नही किये जावेगें ।

{10} **नर्सरी श्रेणी एंव स्पेशल श्रेणी में जारी कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी मे परिवर्तित करना** :- स्पेशल श्रेणी एंव नर्सरी श्रेणी मे जारी किये गये एवं भविष्य मे जारी होने वाले समस्त कनेक्शनों को उनकी सामान्य श्रेणी की उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिया जावे। तब तक इस स्कीम मे जारी किये गये कनेक्शनों का वर्तमान मे प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग किया जावे।

{11} **विद्युत चोरी करते हुये पाये जाने पर कृषको की सामान्य वरीयता समाप्त** :-

(अ) सामान्य श्रेणी के आवेदक अगर विद्युत चोरी करते पाये जावेंगे तो उनसे कम्पाउण्डिग राशि जमा कराने के पश्चात फार्म हाऊस श्रेणी मे आवेदन प्राप्त होने पर , मांग पत्र की राशि फार्म हाऊस की दर से ली जावेगी तथा विद्युत दर 3 साल तक फार्म हाऊस की ली जावेगी। 3 साल बाद ऐसे

फार्म हाऊस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर मांग पत्र की राशि फार्म हॉऊस की तरह ली जावेगी तथा विद्युत दर फार्म हाऊस की ली जावेगी जो सामान्य श्रेणी मे कभी भी परिर्वतित नही की जावेगी।

(स) अनुसूचित जाति के आवेदक / गैर आवेदक अगर विद्युत चोरी पाये जावेगे उनसे कम्पाउण्डिग राशि जमा करवाने के पश्चात फार्म हॉऊस श्रेणी मे आवेदन प्राप्त होने पर मांग पत्र की राशि फार्म हॉऊस की तरह ली जावेगी तथा विद्युत दर दो साल तक फार्म हॉऊस की ली जावेगी। दो साल बाद ऐसे कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी के कनेक्शनो मे परिर्वतीत कर दिया जावेगा।

(द) दो साल तक के कटे हुये कनेक्शन के कृषक यदि चोरी करते पाये जावें तो उन्हें कनेक्शन कटने की तिथि से चोरी पकडे जाने की तिथि तक फ्लेट रेट की दर की दुगनी राशि, पुराना बकाया मय 18 प्रतिशत ब्याज के जमा कराने के पश्चात उसी श्रेणी मे पुनः कनेक्शन दे दिया जावे। यदि लाईन हटा ली गई तो निगम अपने खर्चे पर स्थापित करेगा।

(घ) जिन कृषि आवेदको के मांग पत्र की राशि जमा है और यदि वे चोरी करते हुये पाये जावे तो उनसे निम्नलिखित चार्जेज लिये जावेगे :—

1. सामान्य श्रेणी एंव स्पेशल स्कीम के आवेदक मांग पत्र की राशि जमा करवाने के बाद यदि बिजली की चोरी पकडे जाने पर कम्पाउण्डिग राशि जमा करवाने के बाद फार्म हॉऊस श्रेणी मे कनेक्शन दे दिया जावे। तीन साल बाद ऐसे कनेक्शनो को साधारण श्रेणी मे परिवर्तति कर दिया जावे।
2. फार्म हॉऊस के आवेदक मांग पत्र की राशि जमा करवाने के बाद बिजली की चोरी पकडे जाने पर कम्पाण्डिग राशि जमा करवाने के बाद फॉर्म हॉऊस श्रेणी मे कनेक्शन दे दिया जावे।

{12} <u>कटे हुए कनेक्शन को पुनः चालू करना</u> :— दो साल तक के कटे हुए कनेक्शन को यदि उपभोक्ता चालू कराना चाहता है तो पुनः चालू किया जा सकता है परन्तु दो साल से अधिक कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू नहीं किया जावेंगा। यदि आवेदक कनेक्शन चाहता है तो नया प्रार्थना पत्र पर नया कनेक्शन प्राथमिकतानुसार दिया जा सकता है।

दो साल तक कटे हुये कनेक्शन उपभोक्ता विद्युत संबंध विच्छेद के समय जो बकाया राशि थी वह राशि, उस पर ब्याज तथा री—कनेक्शन चार्जेस लेकर कनेक्शन चालू किया जा सकता है। चालू करने की स्वीकृति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (परि.एंव.संधा) द्वारा दी जा सकेगी। परन्तु यह सुविधा तीन वर्ष में एक बार ही दी जावेगी। तीन वर्ष में एक से अधिक बार कनेक्शन कटने पर न्यूनतम राशि, बकाया राशि एंवम उस पर ब्याज लिया जावेगा। दो वर्ष तक कटे हुये कनेक्शन को चालू करने के लिये पुनः चालू शुल्क (री—कनेक्शन फीस) के अतिरिक्त लाईन चार्जेज वगैरह नहीं लिये जावेंगे।

{13} कृषि कनेक्शन होने से पूर्व स्थान परिर्वतन नही किया जावेगा।

<u>यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।</u>

{एच.एस.देवड़ा}
मुंख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।

<u>जयप्रकाश/आईओ</u>